लोक सेवा आयोग

[अनु· 315 - 323]

अनु· 315 केंद्र के लिए UPSC होगा व राज्यों के लिए राज्य PSC होगा।

→ 2 या 2 से अधिक राज्य यदि संसद से अनुरोध करे तो संसद कानून बनाकर 'संयुक्त लोक सेवा आयोग' का गठन

→ राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से UPSC किसी राज्य के लिए कार्य कर सकता है।

अनु· 316 सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति और पदावधि

for UPSC, JPSC > नियुक्ति = President

RPSC → नियुक्ति = Governer

कार्यकाल -

(i) UPSC = 6Y ~~या 65 Y~~

(ii) JPSC = " " 62 Y

(iii) RPSC = " " "

योग्यता -

आधे सदस्य प्रशासनिक सेवा का कम से कम 10Y का अनुभव रखते हों तथा

आधे सदस्य - शिक्षा, कानून, समाज सेवा

अनु· 317 अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना व निलम्बन करना

→ आरोप = कदाचार

* जाँच = SC के जज द्वारा

* कदाचार सिद्ध हो जाता है → UPSC / JPSC / RPSC में पद से हटाएगा → राष्ट्रपति

→ निलम्बन -

(i) RPSC - जाँच के दौरान राज्यपाल द्वारा

(ii) JPSC / UPSC - राष्ट्रपति द्वारा

→ कदाचार के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है -

(i) दिवालिया घोषित हो जाए

(ii) मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो

(iii) नैतिक अधमता का दोषी पाया जाए

(iv) लाभ का पद स्वीकार कर ले

(v) अपने कर्त्तव्य से बाहर किसी और सेवा में नियोजित हो जाए

अनु. 318 आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें

अनु. 319

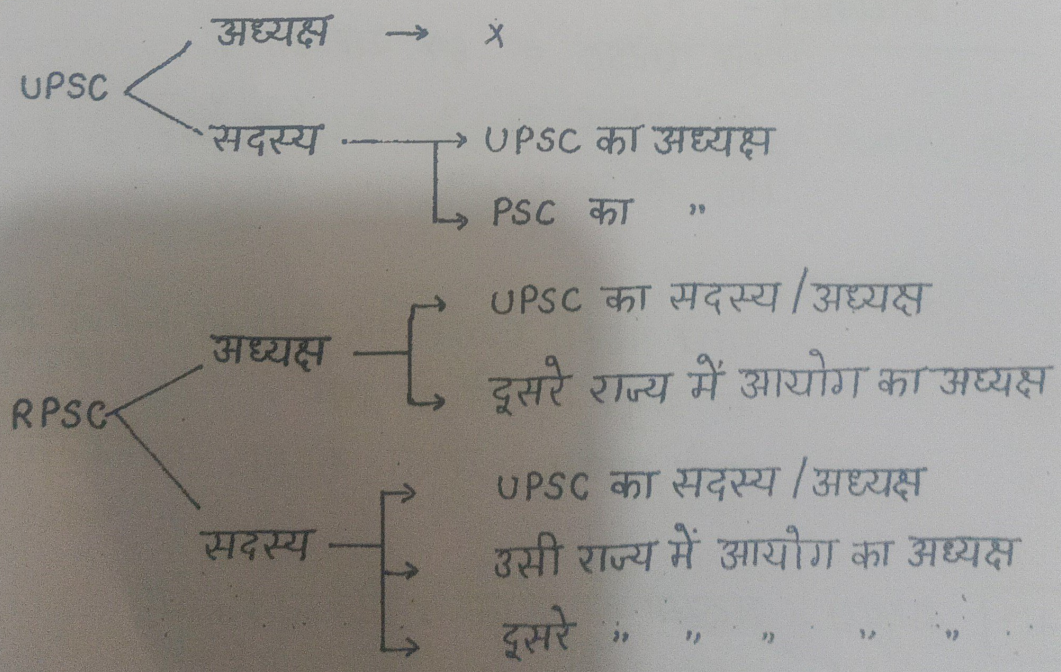

हरगोविन्द पन्त v/s रघुकुल तिलक - 1979 ई.
Raj. के गवर्नर

→ राज्यपाल का पद राज्य के अधीन नियोजन का पद नहीं है।
→ अर्थात् ये राज्यपाल बन सकते हैं।

eNotes upload by Dr. Ravikant Ranjan Dept- political science ,Date - 3Feb 24 , Time - 10 Am
B A part 2 , Topic- Public service commission Art 315 to 323 (today upload Art 315 to 319)

vist website - www.maharajacollege.ac.in